(वाद संख्या–5228/18)

29.06.2021

नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, बीरेन्द्र कुमार मिश्र, अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए बैक ऑफ इंडिया, खलीफाबाग चौक, भागलपुर के द्वारा लिये गये शिक्षा ऋण को बैंक द्वारा परिवादी के पेंशन खाता से जबरदस्ती वसूल किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में क्षैत्रीय प्रबंधक, बैक ऑफ इंडिया, चाणक्या टावर, आर ब्लॉक चौराहा, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई थी उसके माध्यम से मुख्य प्रबंधक, बैक ऑफ इंडिया, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामला जिला उपभोक्ता फोरम, भागलपुर के न्यायालय लंबित है।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादी ने भी अपने परिवाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि प्रसंगाधीन मामला जिला उपभोक्ता फोरम, भागलपुर में लंबित है।

अब जबकि समान आशय का मामला किसी भी न्यायालय मे लंबित हो तो ऐसे परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

परिवादी, बीरेन्द्र मिश्र के पुत्र के प्रसंगाधीन मामला Loan recovery से संबंधित है जिसके संबंध मे एक मामला **Consumer Court** मे चल रहा है। अतः **मुख्य प्रबंधक, बैक ऑफ इंडिया, भागलपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **मुख्य प्रबंधक, बैक ऑफ इंडिया, भागलपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक